**दिनांक 08.06.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही**

---

**उपस्थिति**– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **स्वच्छ भारत मिशन** :– इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नगर निकायों द्वारा पूर्व में जो संख्या बतायी गयी थी उसमें से वर्तमान सर्वे के उपरांत लक्ष्य काफी कम बताया जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रारंभिक सर्वे के समय लाभुकों द्वारा गलत सूचना दी गयी थी। इसे प्रारंभ के लक्ष्य में परिवर्तन किये बिना शीघ्र ऑनलाईन डाटावेस में सुधार कर वार्ड–वार सूचना विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। जिन नगर निकायों में खाता नहीं खुला है वहॉ आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के प्रतिनिधि को शीघ्र खाता खोलने तथा जहॉ खाता संचालन में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है/active नहीं हो रहा है उसका निष्पादन 24 घंटों के अन्दर करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा रु. 10,00,000/प्रतिदिन निकासी की सीमा का बढ़ाकर 25,00,000/प्रतिदिन करने का अनुरोध किया गया । इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी शीघ्र कार्रवाई करें। जिन निकायों में शत–प्रतिशत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वहॉ इस माह के अंत तक कार्य प्रारंभ कर प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाय। साथ ही 02.10. 2017 तक सभी वार्डों को ODF घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित की गयी। सामूदायिक शौचालय के लिए जमीन को चिन्हित कर कार्य प्रारंभ किया जाय। जमीन नहीं उपलब्ध होने पर चलन्त शौचालय के निर्माण हेतु कार्रवाई करें। चलन्त शौचालय के कय हेतु बुडको से संपर्क किया जा सकता है। रेलवे लाईन के किनारे रेलवे के खाली जमीन पर बसे हुए लोगों के लिए prefabricated सामुदायिक शैचालय का निर्माण कराया जा सकता है। इस संबंध में रेलवे के सक्षम पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। कटिहार, बगहा, दानापुर, डेहरी ऑन सोन में शौचालय निर्माण का कार्य बहुत धीमा है वहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय साथ ही वहॉ के नोडल पदाधिकारी जाकर निरीक्षण करें तथा इसकी सतत समीक्षा करें। नवादा में जमीन 609 खाता में होने के कारण शौचालय निर्माण नहीं कराया जा रहा है। नवादा जिला के नोडल पदाधिकारी स्वयं जाकर इस संबंध में निरीक्षण करें । सभी नोडल पदाधिकारी अपने–अपने निकायों में हो रहे शौचालय निर्माण की प्रगति का सतत् अनुश्रवण करें। भागलपुर में बनाये गये सामूदायिक शौचालय का निरीक्षण दिनांक 11.06.17 को विभाग द्वारा श्री हरिशंकर सिंह, सहायक निवेशक, श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता एवं श्री अनुप कुमार टीम बनाकर भागलपुर जाकर करें। नगर आयुक्त, भागलपुर/ बिहार शरीफ द्वारा जून माह के अंत तक तथा कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर/सासाराम द्वारा 15 अगस्त, 17 तक निकाय पूर्णतः ODF घोषित हो जाने का आश्वासन दिया गया। ODF घोषित हो जाने के उपरांत self verified report विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14/6/17

सभी निकाय सामूदायिक शौचालय एवं चलन्त शौचालय के निर्माण हेतु 40 प्रतिशित राशि की मॉग निर्धारित प्रपत्र में भरकर विभाग को दो दिनों के अन्दरभेजें ताकि राशि आवंटन की जा सके।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)**

3. **AMRUT Yojna-** इस योजना के तहत वैसे निकाय जहॉ निविदा का प्रकाशन, जमीन उपलब्ध होने के उपरांत भी, नहीं किया गया है वहॉ इस माह के अंत तक निविदा का प्रकाशन करना सुनिश्चित करें। जमीन की अनुपलब्धता की स्थिति में वहॉ के जिला पदाधिकारी से संपर्क कर कर्रवाई की जाय। भभुआ में कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्य नहीं हो रहा है विभाग द्वारा इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें और सभी वार्डों का प्राक्कलन तैयार कर निविदा का प्रकाशन इस माह के अंत तक करा लिया जाय। नोडल पदाधिकारी, रक्सौल/लखीसराय में हो रहे कार्य का निरीक्षण करें एवं प्रगति की समीक्षा कर सूचित करें। विभाग में CS के लिए आये हुए प्रस्तावों का निष्पादन शीघ्र किया जाय। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा हो रहे कार्य का भी सतत् समीक्षा किया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन वाले क्षेत्रों को सर्वे कराकर/जॉच कर (जल की गुणवत्ता को जॉच कर) पूर्व में दिये गए निर्देशों के अनुसार टेक ओवर कर लिया जाय ।

बक्सर, दानापुर, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, जमालपुर, डालमियानगर, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, हाजीपुर, बेगुसराय, दरभंगा द्वारा पार्क निर्माण/विकास हेतु डिजाईन तैयार कर प्राक्कलन नहीं भेजा गया है जिसके कारण योजना स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। इसे शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। बेगुसराय में जमीन की उपलब्धता में होने वाली कठिनाई को जिला पदाधिकारी एवं मंदिर प्रशासन से संपर्क कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय। छपरा में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इस संबंध में लिखित सूचना विभाग को भेजी जाय।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)**

4. **Housing for All:-** योजना का प्रगति अधिकांश नगर निकायों में असंतोषजनक है। वैसे नगर निकाय जिसमें अबतक प्रगति शून्य है उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके प्रपत्र–क गठित करने का कार्रवाई किया जाय। योजना के अधीन प्रगति के लिए अंचल अधिकारी से संपर्क करके एल.पी.सी. प्राप्त करने का निदेश दिया गया। सभी नगर निकायों को विशेष ध्यान देकर योजना में प्रगति लायें तथा विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

5. **IHSDP**:– इस योजना को भारत सरकार द्वारा 31.03.2017 से बन्द कर दिया गया है। योजना के अधीन आवासीय इकाई जो निर्माणाधीन है उसे एक माह के अन्दर निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथ वैसे आवासीय इकाई जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका उसमें निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ करने एवं उसे प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया। योजना के अधीन आधारभूत संरचना मद का कार्य जो निर्माणाधीन है उसे एक माह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया तथा आधारभूत संरचना मद में जिन योजना में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका तथा जिन योजना में 31.03.17 से पूर्व कार्यादेश नही दिया जा सका उसे प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

6. **DAY-NULM :-** DAY-NULM का वित्तीय वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य योजना सभी नगर निकायों को भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 का दो माह व्यतीत हो चुका है परन्तु अधिकांश नगर निकायों में DAY-NULM के विभिन्न कारकों का प्रगति अब तक शून्य है। प्रधान सचिव द्वारा वार्षिक कार्य योजना में दिये गये लक्ष्य को वित्तीय वर्ष के अवशेष 10 माहों में विभक्त करके माह का लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

योजना के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं को दिनांक 24.06.17 को नगर निकाय में शिविर का आयोजन करके फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र वितरण करके तथा इसके लिए ससमय सभी आवश्यक तैयारी करने का निदेश दिया गया।

7. **राजीव आवास योजना**:– राजीव आवास योजना का पटना नगर निगम द्वारा कार्यान्वित फेज–I एवं फेज II तथा बुडको द्वारा कार्यान्वित पटना फेज– III का प्रगति काफी असंतोषजनक है। प्रधान सचिव द्वारा योजना में प्रगति लाने हेतु निदेश दिया गया।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

8. **सम्राट अशोक भवन**:– सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु सभी निकायों को राशि उपलब्ध करायी गयी थी। जिन निकायों में सम्राट भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है और राशि की कमी है वे उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मॉग–पत्र विभाग को भेजें। भवन निर्माण हेतु जमीन अनुपलब्धता की स्थिति में आवंटित राशि को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। विभाग में CS के लिए भेजे गये प्रस्तावों का निष्पादन शीघ्र किया जाय। जहॉ जमीन उपलब्ध है वहॉ जून माह के अंत तक निविदा का प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

9. **प्रशासनिक भवन**:– प्रशासनिक भवन के निर्माण में प्रगति लाया जाय। यदि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उपलब्ध करायी गयी राशि को वापस कर दी जाय।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

10. Publication of planning Area:- जिन निकायों के द्वारा प्लानिंग एरिया का प्रकाशन नहीं किया गया वे जिला पदाधिकारी से संपर्क कर शीघ्र प्रकाशन करा लें तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करा दें।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

11. **अंकेक्षण/एसी.डी.सी./उपयोगिता प्रमाण पत्र**– ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लंबित कंडिकाओं का अनुपालन/निष्पादन शीघ्र कर लिया जाय। अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए एक प्रति विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। ए.सी. डी.सी. में लंबित राशि का समायोजन कोषागार से संपर्क कर शीघ्र करायें। प्राप्त प्रमाण पत्र की एक प्रति विभाग को भेजें। अनिकासी की गई राशि को कोषागार में जमा कर उससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भेज दिया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र से

संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर महालेखाकार को भेजना तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)**

12.वैसे निकाय जहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी/ प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

15/6/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**
**प्रधान सचिव**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**
**बिहार, पटना।**

ज्ञापांक– 4039 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 15/06/2017
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**
**प्रधान सचिव**

ज्ञापांक– 4039 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 15/06/2016
प्रतिलिपि– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**
**प्रधान सचिव**

ज्ञापांक– 4039 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 15/06/2017
प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, बुडा/ टीम लीडर, स्पर/ अभियंत्रण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/2017

**(चैतन्य प्रसाद)**
**प्रधान सचिव**